



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD AYODHYA

सन्दर्भ सं०:
Ref. No. 1671/पेट्रोल पम्प / 2021

दिनांक:
Dated 12-3-2021

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद गोण्डा।

विषय—मेसर्स इण्डियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि० (रिटेल आउटलेट), ग्राम, सकरौरा नगर, तह० करनैलगंज, जनपद गोण्डा की गाटा संख्या—1261, 1262 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या के संबंध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—07/जे०ए०(अना०—प्र०पत्र)/2021 दिनांक 01.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रस्तावित मेसर्स इण्डियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि० (रिटेल आउटलेट), ग्राम, सकरौरा नगर, तह० करनैलगंज, जनपद गोण्डा की गाटा संख्या—1261, 1262 पर प्रस्तावित रिटेल पेट्रोल पम्प क्षमता 1×20KL MS एवं 1×20 KL HSD, पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना संबंधी बोर्ड द्वारा कोई मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) निर्धारित नहीं है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प द्वारा प्रेषित अभिलेखों, ले-आउट प्लान, शपथ पत्र आदि के परीक्षणों परान्त प्रस्तावित स्थल पर स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है—

- 1—प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आस पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- 2—पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
- 3—पेट्रोलियम पदार्थ अत्याधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मददेनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
- 4—पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- 5—घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिस्त्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
- 6—पेट्रोल पम्प की स्थापना द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
- 7—पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- 8—पेट्रोल पम्प द्वारा हैजाईस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रांस बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स), नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजाईसके केमिकल रूल्स 1989, पब्लिक लाईबिलिटी इन्वयोरेंस एक्ट 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

उपानश कुमार/UPANSH KUMAR

वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (Retail Sales)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि./Indian Oil Corporation Ltd.
इण्डियन ऑइल कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Indian Oil Complex, Aligarh, Lucknow

(2)

- 9-पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1×20KL MS एवं 1×20 KL HSD, के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
- 10-प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निवारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
- 11-पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
- 12-डी0जी0 सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
- 13-पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
- 14-पेट्रोल पम्प द्वारा सभी संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर 06 माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- 15-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये।
- 16-पेट्रोल पम्प वाहनो की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामाने यातायात बाधित न हो।

उपांश कुमार/UPANSH KUMAR
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (Retail-Sales)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/ Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि./ Indian Oil Corporation Ltd.
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Kapoorthala Complex, Aligarh, Lucknow

भवदीय,

(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी